

यू. ओ. नोट

विषय:- निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जाँच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की पूर्ण ठोस एवं सारगर्भित अनुपालनायें निदेशक, निरीक्षण विभाग की टिप्पणी/आक्षेपानुसार भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- इस शाखा का पत्र क्रमांक 5917-42 दिनांक 5.01.2021, 7832-62 दिनांक 15.02.2021, 8162-276 दिनांक 19.02.2021, 10303-22 दिनांक 31.03.2021, 2243-72 दिनांक 01.07.2021, 2977-3000 दिनांक 15.07.2021, 4037-63 दिनांक 16.08.2021, 4066-93 दिनांक 18.08.2021, 5473-5503 दिनांक 22.11.2021, 962-86 दिनांक 23.12.2021 एवं श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव महोदय, कृषि (ग्रुप-1) शासन सचिवालय जयपुर का पत्र दिनांक 15.11.2021

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि ऑडिट कमेटी की बैठकों में श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय, द्वारा आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की अनुपालनायें लम्बी अवधि से नहीं होने से गंभीरता से लिया जाता है, साथ ही बकाया आक्षेपों के शीघ्र निस्तारण हेतु कैम्प का आयोजन कराने हेतु भी निर्देशित किया जाता है। जिसके क्रम में आपकी शाखा से संबंधित बकाया आक्षेपों की अनुपालनायें भिजवाने हेतु पूर्व में समय समय पर पत्र एवं स्मरण पत्र लिखे गये हैं। किन्तु बकाया आक्षेपों की अनुपालनायें निदेशक निरीक्षण विभाग से प्राप्त टिप्पणी अनुसार/आक्षेपानुसार नहीं भिजवायी जाकर प्रायः पूर्व में प्रेषित अपूर्ण अनुपालनाओं की फोटोप्रतियाँ ही बिना हस्ताक्षर, सील के बिना नवीनतम स्थिति तथा बिना प्रमाणित साक्ष्यों/दस्तावेजों के साथ भिजवायी जा रही है जिसके कारण श्रम एवं समय का अपव्यय होता है व आक्षेप निस्तारण में कोई प्रगति नहीं हो पाती है। आक्षेप निस्तारण में उल्लेखनीय प्रगति नहीं होने से ऑडिट कमेटी की बैठकों में प्रकरण को उच्च अधिकारियों द्वारा गंभीरता से लिया जाता है। इस संबंध में आक्षेपों की अनुपालना हेतु वित्त (अंकेक्षण अनुभाग) विभाग से भी पत्र प्राप्त हो रहे हैं तथा निकट भविष्य में ऑडिट कमेटी की बैठक होना भी प्रस्तावित है।

अतः इस संबंध में आपकी शाखा से संबंधित बकाया आक्षेपों की निदेशक निरीक्षण विभाग से प्राप्त टिप्पणी अनुसार पूर्ण, ठोस एवं सारगर्भित संशोधित नवीनतम अनुपालना मय प्रमाणित साक्ष्यों/दस्तावेजों सहित निरस्त योग्य होने वाले आक्षेपों की पालना अविलंब 2 प्रतियों में भिजवाने का श्रम करावें। ताकि प्रमुख शासन सचिव महोदय, के निर्देशानुसार आक्षेपों के निस्तारण हेतु कार्यवाही की जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।


संबंधित समस्त शाखा

— sa —
(सिरमौर मीना)
वित्तीय सलाहकार, कृषि

यू.ओ.नोट क्रमांक प. 3(iv)/आ.कृ/लेखा/आ.जा.प्र./2021-22/3046-70 दिनांक 7-3-22

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- (1) निजी सचिव – श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव महोदय, कृषि (ग्रुप-1) शासन सचिवालय जयपुर।
- (2) निजी सचिव – श्रीमान् आयुक्त महोदय, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (3) अतिरिक्त निदेशक, कृषि (अनुसंधान) नोडल अधिकारी (सीएजी, पीएसी)।
- (4) संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन) मुख्यालय, जयपुर।
- (5) एसीपी को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय पत्र को कृषि विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करावें।


वित्तीय सलाहकार, कृषि